राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर

क्रमांकः–एफ.2 (ग) (1)/(ए–120)/अलेसे–I/8349-55 दिनांकः 23/02/15

कार्यालय आदेश

श्री अंगदराम मीणा, सहायक लेखाधिकारी, ग्रेड–I, का विभागीय आदेश संख्या 94/2014–15 दिनांक 28.10.2014 के द्वारा स्थानान्तरण उपकोष, टोडाभीम करौली से कमाण्डेण्ट, छठी बटालियन, आरएसी, धौलपुर में किया गया था। इस स्थानान्तरण के विरूद्ध श्री मीणा ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में सिविल रिट पीटीशन संख्या 401/2015 दायर की, जिसमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने उक्त याचिका में पारित निर्णय दिनांक 13.01.2015 में याची द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की दिनांक से एक माह की अवधि में याची के स्थानान्तरण पर पुनर्विचार कर याचिकार्थी के अभ्यावेदन का निस्तारण करने के निर्देश दिये गये है, इस संबंध में श्री अंगदराम मीणा ने निम्नलिखित बिन्दुओं के आधार पर स्थानान्तरण निरस्त करने अथवा संशोधित करने का अनुरोध किया है:–

"प्रार्थी घुटनो के जोड़ दर्द से ग्रसित है चलने फिरने में असमर्थ है तथा प्रार्थी की पत्नी रीढ की हड्डी रोग से ग्रसित है जिसका ऑपरेशन कराने की सलाह एस.एम.एस. के न्यूरो सर्जरी विभाग के डाक्टर द्वारा दी गई है।"

श्री मीणा के विरूद्ध जिला कलक्टर करौली ने पत्र क्रमांक 323 दिनांक 12.09.14 के द्वारा उपकोष टोडाभीम में कार्यरत रहते हुए विभिन्न अनियमितताये करने की शिकायत करते हुए निलम्बित कर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का अनुरोध किया था। उक्त शिकायत की जांच कोषाधिकारी, करौली से कराये जाने पर श्री मीणा द्वारा वित्तीय अनियतताये किये जाने के आरोप सही पाये गये। श्री मीणा द्वारा अभ्यावेदन में जिन बिमारियों का संदर्भ दिया गया है वे भी गंभीर बिमारियो की श्रेणी में नही आती है तथा श्री मीणा की सेवानिवृत्ति में भी दो वर्ष से अधिक समय शेष है।

अतः श्री मीणा के अभ्यावेदन को निरस्त करते हुए श्री मीणा का विभागीय आदेश संख्या 94/2014–15 दिनांक 28.10.14 के द्वारा किये गये स्थानान्तरण को यथावत रखा जाता है।

(भास्कर शर्मा)
निदेशक

क्रमांकः–एफ.2 (ग) (1)/(ए–120)/अलेसे–I/8349-55 दिनांकः 23/02/2015

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. संयुक्त निदेशक(विधि), निदेशालय, जयपुर।
2. कमाण्डेण्ट, छठी बटालियन, आरएसी, धौलपुर।
3. कोषाधिकारी, करौली को प्रेषित कर लेख है कि श्री मीणा को उनके निवास स्थान पर हस्तगत करावें।
4. श्री अंगदराम मीणा, सहायक लेखाधिकारी, ग्रेड–I, द्वारा कोषाधिकारी, करौली।
5. उपनिदेशक(एसीपी), कम्यूटर शाखा को विभागीय वेबसाईट पर उपलोड करने एवं पीआईएस में एन्ट्री करने हेतु।
6. वरिष्ठ निजी सहायक, निदेशक महोदय।
7. निजी पत्रावली/गार्ड फाईल।

(के.एम. मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–I)

ए–ब्लॉक, वित्त भवन, ज्योति नगर, जनपथ, जयपुर
Website - dta.raj.nic.in, E-Mail Id - jdp-ta-rj@nic.inFax-2740735, Tel.- 2744134
D:\surendra\Orders.doc